

HARYANA GOVT. GAZ. , JULY 10, 2018 (ASAR. 19, 1940 SAKA)

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
EMPLOYMENT DEPARTMENT

Notification

The 6th July, 2018

No. G.S.R.-45/Const./Art.309/2018.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Employment Department (Group C) Service Rules, 1985 namely :-

1. These rules may be called the Haryana Employment Department (Group C) Service (Amendment) Rules, 2018.
2. In the Haryana Employment Department (Group C) Service Rules 1985, in rule 5, for the figure "30", the words and sign "forty -two" shall be substituted.

T. C. GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Employment Department.

हरियाणा सरकार
रोजगार विभाग
अधिसूचना

दिनांक 6 जुलाई, 2018

संख्या सांका०नि० 45/संवि०/अनु०309/2018. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा रोजगार विभाग (वर्ग ग) सेवा नियम, 1985 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा रोजगार विभाग (वर्ग ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2018 कहे जा सकते हैं ।
2. हरियाणा रोजगार विभाग (वर्ग ग) सेवा नियम 1985 में, नियम 5 में, "30 वर्ष" अंको तथा शब्द के स्थान पर, "बयालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

टी० सी० गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
रोजगार विभाग ।